अध्याय 1: संघीय वित्त का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संसद में प्रस्तुत किए गए भारत सरकार (भा.स.) के वार्षिक लेखे में वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे शामिल हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से प्राप्तियों तथा भुगतानों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे संसद द्वारा प्राधिकृत राशियों के साथ व्यय की तुलना करते हैं तथा प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत आधिक्य अथवा बचतों पर कार्यपालिका का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में वित्त लेखे पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां[1] शामिल हैं; अध्याय 3 में विनियोग लेखे पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं।

1.1.1 भारत सरकार के वित्त का विहंगावलोकन

परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की स्थिति का एक आशुचित्र **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1 परिसम्पत्तियां तथा देयताओं की विवरणी

(₹ करोड़ में)

देयताएं			परिसम्पत्तियां		
विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को
आंतरिक ऋण	57,41,709	64,01,275	सकल पूंजीगत परिव्यय- कम्पनियों, सहकारी समितियां आदि के शेयरों में निवेश	6,68,744	7,96,396
बाह्य ऋण	2,28,259	2,50,090	अन्य पूंजीगत व्यय	15,17,175	17,12,912
लघु बचते, भविष्य निधियां आदि	5,48,348	5,54,171	सरकारी निगमो, गैर-सरकारी संस्थानों, स्थानीय निधियो, किसानों आदि को ऋण	1,04,630	1,11,249

[1] राशियों को इस रिपोर्ट में पूर्णांकित किया गया है।

देयताएं			परिसम्पत्तियां		
आकस्मिकता निधि	500	500	राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को ऋण	1,57,547	1,62,011
आरक्षित निधियां	25,665	44,088	विदेशी सरकारों को ऋण	12,920	13,433
जमा एवं अग्रिम	1,82,831	2,07,968	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम एवं विविध ऋण	209	110
			उचंत एवं विविध शेष	21,090	32,726
			धन प्रेषण शेष	12,359	9,151
			नकद निवेश शेष	1,25,350	1,62,555
			सामान्य नकद शेष	5,499	1,408
			विभागीय कार्यालयों के पास नकद	3,869	4,604
			स्थायी नकद अग्रदाय	85	93
			घाटा		
			वर्ष के लिए राजस्व घाटा	3,17,030	4,48,942
			जोड़-वर्ष के आरम्भ का घाटा (संतुलित आंकड़ा)	37,80,805	40,02,502
कुल	**67,27,312**	**74,58,092**	**कुल**	**67,27,312**	**74,58,092**

1.1.2 भारत सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण

2016-17 तथा 2017-18 के लिए भारत सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण **तालिका 1.2** में दिए गए हैं।

तालिका 1.2 प्राप्तियां एवं संवितरण की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2016-17	2017-18		2016-17	2017-18
कर राजस्व	11,07,968	12,46,178	सामान्य सेवाएं	9,26,181	10,10,124
गैर-कर राजस्व	5,06,720	4,41,383	सामाजिक सेवाएं	97,210	1,01,337
सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,300	3,582	आर्थिक सेवाएं	6,18,626	6,47,098
पूंजीगत प्राप्तियां	47,743	1,00,048	सहायता अनुदान तथा अशंदान	2,91,001	3,81,525
लोक ऋण	61,34,136	65,54,002	पूंजीगत लेखे पर व्यय	2,49,472	3,25,116

प्राप्तियां			संवितरण		
	2016-17	2017-18		2016-17	2017-18
ऋण एवं अग्रिम	40,971	70,639	लोक ऋण	56,78,823	58,72,605
			ऋण एवं अग्रिम	60,011	82,136
कुल - भारत की समेकित निधि	78,38,838	84,15,832		79,21,324	84,19,941
लोक लेखा					
लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	7,54,401	8,50,460	लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	7,19,149	8,44,638
आरक्षित निधियां	2,21,982	3,07,037	आरक्षित निधियां	2,28,418	2,88,614
जमा एवं अग्रिम	2,12,694	2,66,452	जमा एवं अग्रिम	1,94,902	2,41,314
उचंत एवं विविध	83,729	6,134	उचंत एवं विविध	34,247	58,708
धन प्रेषण	1,143	4,309	धन प्रेषण	5,852	1,101
कुल -लोक लेखा	12,73,949	14,34,392		11,82,568	14,34,375
कुल प्राप्तियां	91,12,787	98,50,224	कुल संवितरण	91,03,892	98,54,316
अथ नकद शेष	-3,397[2]	5,499	अंत नकद शेष	5,499	1,408

1.1.3 सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों आदि में निवेश

2017-18 की समाप्ति पर ₹ 7,96,396 करोड़ का भा.स. के कुल निवेश में 2016-17 से ₹ 1,27,652 करोड़ की वृद्धि हुई थी। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने 109 संस्थाओं से ₹ 3,10,669 करोड़ के निवेश पर ₹ 91,229[3] करोड़ के लाभांश/आधिक्य प्राप्त किए।

लाभांश/आधिक्य के प्रमुख अंशदाता भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (₹ 40,659 करोड़), कोल इण्डिया लिमिटेड (₹ 8,045 करोड़), भारतीय तेल निगम लिमिटेड (₹ 5,535 करोड़), तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (₹ 5,275 करोड़), एनटीपीसी लिमिटेड (₹ 2,531 करोड़), न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (₹ 2500 करोड़), भारतीय विमान पतन प्राधिकरण (₹ 2,476 करोड़), भारतीय जीवन बीमा

[2] ऋणात्मक नकद शेष 31 मार्च 2016 को लेखाकरण शेष है। यह 1 अप्रैल 2016 से 10 अप्रैल 2016 के दौरान वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आरबीआई द्वारा अवशिष्ट लेन-देन हेतु लेखांकन के कारण उत्पन्न हुआ है।

[3] वित्तीय लेखाओं की विवरणी सं.11 के अनुसार, तथापि विवरणी 8 के अनुसार, प्राप्त कुल लाभांश/लाभ/आधिक्य ₹91,367 करोड़ था। इसकी चर्चा रिपोर्ट के पैरा 2.7(ग) में की गई है।

निगम (₹ 2,376 करोड़), राष्ट्रीयकृत बैंक (₹ 1,826 करोड़), पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (₹ 1,744 करोड़), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 1,729 करोड़) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (₹ 1,366 करोड़) थे।

मंत्रालय/विभाग वार विवरण **तालिका 1.3** में दिए गए हैं:

तालिका 1.3: लांभाश/आधिक्य अर्जित करने वाली संस्थाओं के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	मंत्रालय/विभाग	मंत्रालय/विभाग
1.	नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन	4	2,510
2.	वित्त	6	4,206
3.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	8	14,598
4.	इस्पात एवं खनन	9	2,983
5.	रेलवे	8	837
6.	रक्षा	8	2,059
7.	विद्युत	10	8,708
8.	कोयला	3	8,652
9.	उद्योग	6	356
10.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	2	169
11.	पोतपरिवहन	3	223
12.	शहरी मामले	3	219
13.	परमाणु ऊर्जा	6	2,584
14.	अन्य*	33	43,125
	कुल	109	91,229

स्रोत: भारत सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.11

* अन्य में आरबीआई एवं राज्य सहकारी बैंक/संस्थान तथा अन्य इकाईयां शामिल है।.

विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियों का एक मुख्य भाग है। ₹ 88,969 करोड़ की कुल विनिवेश प्राप्तियों में से, पांच इकाईयां अर्थात् हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस, न्यू इण्डिया एश्योरन्स कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड ने 78.13 प्रतिशत (₹ 69,514 करोड़) का योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, कुल विनिवेश प्राप्तियों में से ₹ 2,802 करोड़, अंकित मूल्य (3 प्रतिशत) के रूप में तथा ₹ 86,167 करोड़ (97 प्रतिशत) विनिवेश पर प्रीमियम के रूप में प्राप्त किए गए थे।

1.2 कार्यपालिका द्वारा स्वीकार की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां

निम्नलिखित मामलों में, रेलवे मंत्रालय (अगस्त 2018) एवं गृह मंत्रालय (सितम्बर 2018) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

(क) मुख्य शीर्ष 8342.117-अन्य जमा के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अनधिकृत बुकिंग

सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए 1 जनवरी, 2004 से नई पेंशन प्रणाली प्रारम्भ की गई थी। आगे इसे 2009 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के रूप में रिडिजाइन किया गया और 18-60 वर्ष के बीच आयु वाले सभी भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में, सरकार कर्मचारियों के अंशदानों का मिलान करती है एवं संचयों को कर्मचारियों के व्यक्तिगत पेंशन खातों के प्रति दर्ज किया जाता है।

वित्त मंत्रालय (सितंबर 2008) द्वारा अनुमोदित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, किसी अंशदान को अस्थायी उपाय के रूप में भी लेखाशीर्ष "8342.117-अन्य जमा- परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 205.67 करोड़[4] की राशि को गलत तरीके से उपर्युक्त मुख्य शीर्ष के अंतर्गत रखा गया था। परिणामस्वरूप, अंशदान, ब्याज सहित व्यक्तिगत पेंशन लेखाओं को अंतरण किया जाना शेष रहा।

(ख) कुल ₹ 329 करोड़ की प्रतिभूति जमा का सरकारी लेखे में प्राप्ति के रूप में गलत वर्गीकरण

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) तीन महीनों की अग्रिम में देय बिलिंग के बराबर अग्रिम सुरक्षा के प्रति केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू)/हवाई अड्डों आदि के अनुरोध पर सुरक्षा कार्मिक तैनात करता है।

[4] रेल मंत्रालय- ₹ 205.58 करोड़, कृषि मंत्रालय- ₹ 7.51 लाख; तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग- ₹ 1.92 लाख

सीआईएसएफ ने ₹ 329 करोड़ (दिसबंर 2017 तक) की सुरक्षा जमा/अग्रिम राशि को लोक लेखे में जमा शीर्षों के बजाय मुख्य शीर्ष-0055 पुलिस के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया था, जिसका परिणाम वर्ष के लिए देयता को कम बताए जाने तथा राजस्व प्राप्तियों को अधिक बताए जाने में हुआ।